बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–04–01/2026(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..............................

श्री सिद्धु कोडा, उर्फ मुशी दा, पोस्ट–एतवा मरॉडी, साकिन नेहालडीह थाना–चकाई जिला जमुई का दिनांक–22.02.2020 को पुलिस हिरासत मे मृत्यु होने के फलस्वरूप अन्त्य परीक्षण का वीडियोग्राफी कराई गयी थी। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जमुई के पत्रांक–117 दिनाक–22.10.2021 द्वारा स्वर्गीय कोडा के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन के वीडियोग्राफी एवं रिपोर्ट से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के द्वारा प्रतिवेदित है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे चिकित्सीय दल के चिकित्सको द्वारा बाह्य व्यक्तियो को स्वतत्र गवाह के रूप में नाम दर्ज नहीं किया गया, मृत्यु के कारण को चिन्हित करने वाले विशिष्टियों को अकित नहीं किया गया। मृतक के नाक, कान एवं मुँह से खून निकलने एव शरीर पर कटे का निशान का उल्लेख नहीं किया गया।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन वाद सं0–643/4/14/2020 में दिनाक–29.10.2025 को पारित आदेश मे अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने वाले चिकित्सीय दल के चिकित्सा पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

3. डॉ० नागेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को श्री कोडा के अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन में वास्तविक तथ्यों को छिपाने के आरोप मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के अधीन निलंबित किया जाता है।

4. निलबन अवधि में डॉ० कुमार का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में डॉ० कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। सदर्भित आरोपों की जॉच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–04–01/2026(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–04–01/2026(स्वा0) 279(9) /पटना, दिनांकः–10.03.2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी जमुई/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्राक–1524 दिनांक–10.02.2026 एवं 2506 दिनाक–09.03.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० नागेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Department PMU Lead/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/03/2026

सरकार के अवर सचिव।।